भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2196
जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2025 को दिया जाना है

उत्तराखंड में न्यायिक अवसंरचना का सुदृढ़ किया जाना

2196. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या उत्तराखंड के कई जिलों में न्यायालय भवनों, रिकॉर्ड कक्ष और बार कक्षों के संदर्भ में अवसंरचना की भारी कमी है ;

(ख) क्या सरकार ने उत्तराखंड न्यायपालिका की अवसंरचना में सुधार करने के लिए कोई विशेष निधि स्वीकृत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नए न्यायालय भवनों के निर्माण और डिजिटलीकरण के लिए कोई परियोजना प्रस्तावित है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास की मुख्य ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों की है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के संशाधनों का संवर्धन करने के लिए, केंद्रीय सरकार ने, केंद्र और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के बीच विहित निधि-साझाकरण प्रतिरुप में वित्तीय सहायता प्रदान करके वर्ष 1993-94 से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) का कार्यान्वयन किया है । उत्तराखंड के लिए, केंद्र और राज्य के बीच निधि-साझाकरण प्रतिरुप 90:10 है। इस स्कीम में पांच घटक अर्थात्,

न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाईयां, वकीलों के हॉल, वकीलों और वादकारियों की सुविधा के लिए शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष, शामिल हैं। इस स्कीम के आरंभ से उत्तराखंड राज्य को (तारीख 31.10.2025 तक) 301.94 करोड़ रुपये रकम की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है, जिसमें से 256.86 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2014-15 से न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अधीन दिए गए हैं।

उत्तराखंड राज्य में 298 न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पद संख्या के मुकाबले 283 न्यायालय हॉल उपलब्ध हैं और अन्य 12 न्यायालय हॉल निर्माणाधीन हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार, सभी जिला मुख्यालयों में अभिलेख कक्ष उपलब्ध हैं। कुछ न्यायालय परिसरों में बार कक्ष भी उपलब्ध कराए गए हैं।

ई-न्यायालय परियोजना के चरण-3 के अधीन, देश भर में 2038.40 करोड़ रूपए की लागत से, संपूर्ण न्यायलय अभिलेख- विरासत संपदा अभिलेख और नए मामलों की फाइलिंग दोनों, के डिजिटलीकरण का उपबंध है। ई-समिति, भारत का उच्चतम न्यायालय, से प्राप्त जानकारी के अनुसार तारीख 30.09.2025 तक उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2.17 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है और उत्तराखंड के जिला न्यायालयों में 89.20 करोड़ से अधिक पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।

ई-न्यायालय-3 के अधीन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय को सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना के लिए स्वीकृत की गई आवश्यक निधि, उपाबंध-'क' के रूप में संलग्न है।

****

उपाबंध-'क'

'उत्तराखंड में न्यायिक अवसंरचना का सुदृढ़ किया जाना' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या †2196 जिसका उत्तर तारीख 12.12.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	उत्तराखंड उच्च न्यायालय			
	ई-न्यायालय चरण-III के अधीन आई.सी.टी. अवसंरचना के लिए जारी की गई निधि (लाख रुपये में)			
	घटक	2023-24	2024-25	2025-26
1	नए स्थापित न्यायालयों में आई.सी.टी.	0.00	33.07	115.12
2	नए स्थापित न्यायालय परिसरों में आई.सी.टी.	0.00	60.87	12.17
3	उच्च न्यायालयों में आईसीटी	0.00	415.00	47.50
4	वीडियो सम्मेलन	0.00	178.50	278.25
5	ई-सेवा केंद्र	63.68	208.79	13.04
6	सौर	405.00	0.00	75.00
7	अतिरिक्त हार्डवेयर	835.46	0.00	0.00
8	एनएसटीईपी	27.00	3.00	0.00
9	डिजिटलीकरण	0.00	462.50	1498.28
10	तकनीकी जनशक्ति	34.80	69.60	83.56
11	क्षमता निर्माण	1.75	7.11	20.38
12	कागज रहित न्यायालय	0.00	85.20	20.00
13	सीधा प्रसारण	0.00	113.68	154.60
14	ई-कार्यालय	0.00	38.97	0.00
15	डिजिटल घटक एसजेए	0.00	0.00	485.00
16	ऑनलाइन न्यायालय	0.00	319.5	154.11
	कुल	**1367.69**	**1995.79**	**2957.01**

****